











# सम्पादकीय

जवाबदेही का तंत्र विकसित करे न्यायपालिका, संविधान के तीनों स्तंभों के बीच प्रीतिपूर्ण

## मर्यादा की आवश्यकता

भारतीय राजव्यवस्था में शक्ति के मुख्य स्रोत जन-गण-मन हैं। संविधान की उद्देशिका में इन्हें 'हम भारत के लोग' कहा गया है। संविधान सभा में पारित संकल्प के अनुसार प्रभुत्व संपन्न भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार, उसके संघटक भाग और शासन के सभी अंग 'लोक' से उत्पन्न हैं। संविधान निर्माताओं ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शक्ति संपन्न बनाकर उनके उत्तरदायित्व निर्धारित किए हैं। सबकी मर्यादा है। अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्च बताया जाता है। ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता बताई जाती है। संविधान राजधर्म है। धर्म की शक्ति पालनकर्ता में निहित होती है। यहां जनहित और जनइच्छा की सर्वोच्चता है। विधायिका द्वारा बनाए गए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी कानून को न्यायालय द्वारा निरस्त करने से दो स्तंभों में टकराव बढ़ा है। राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनरखड़ ने एनजेएसी को रद करने पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वह केशवानंद भारती मामले में दिए गए फैसले से सहमत नहीं हैं। इस फैसले में कहा गया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में नहीं। शेखवट ने कहा कि संविधान संशोधन संविधान की आधारिक संरचना में परिवर्तन करता है तो न्यायालय उसे शक्तिवाह्यता आधार पर शून्य करार देने का पात्र होगा। उत्तराम न्यायालय ने संविधान के आधारिक लक्षणों की सूची में संख्या निश्चित नहीं की। यानी यह सूची अभी अपूर्ण है। संप्रति संविधान की सर्वोच्चता, विधि का शासन, न्यायिक पुनरावलोकन, परिसंघवाद, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां, सामाजिक न्याय, मूल अधिकार और नीति-निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन आदि 25 बिंदुओं की आधारिक लक्षणों की सूची में हैं। न्यायपालिका संविधान के निर्वाचन और क्रियान्वयन की अभिभावक है। वह न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से संविधान और विधि की व्याख्याता भी है। व्याख्याकार और निगरानीकर्ता के रूप में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन व्याख्याकार सर्वोच्च नहीं हो सकता। स्वतंत्र न्यायपालिका संवैधानिक सीमा के भीतर ही अपना काम करती है लेकिन यह अवश्य स्परण रहे कि स्वतंत्रता विधायी मूल्य है और स्वचंद्रता नकारात्मक। संसद सब अरब से अधिक लोगों की प्रतिनिधि संस्था है। यह विधि विर्माणी है। इसके पास संविधान

न्यायालय को संसद की संप्रभुता में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दरअसल, संविधान के मूल ढांचे पर बहस जारी है। संविधान सभा में मूल ढांचे पर कोई चर्चा नहीं हुई। एनजेएसी पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे। फिर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे के आधार पर एनजेएसी को निरस्त कर दिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। अनुच्छेद 368 में संशोधन शक्ति की सीमा नहीं है। इसी अनुच्छेद में निरसन शब्द आया है। डीडी बसु ने लिखा है, 'अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधन में संविधान के किसी भी उपबंध का निरसन समिलित है। तथाकथित आधारिक और सारावन उपबंध भी उसमें आते हैं।' संविधान के कुछ आधारिक लक्षण हैं, किंतु न्यायालय द्वारा घोषित इन आधारिक लक्षणों का संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि निमात्रा हो। इसके पास सावधान संशोधन के भी अधिकार है। संसद और विधानमंडल में बहुमत प्राप्त दल समूह कार्यपालिका बनाते हैं। कार्यपालिका और विधायिका के संबंध स्थायी हैं। कार्यपालिका अपने समूचे कामकाज के बारे में विधायिका के प्रति जगाबदेह है। कार्यपालिका की जगाबदेही भारतीय शासन व्यवस्था को प्रामाणिक बनाती है। विधायिका अपने कामकाज से जनता की सर्वोपरि इच्छा को व्यक्त करती है। कार्यपालिका अपने कामकाज के बारे में न्यायालयों के प्रति भी जगाबदेह है। जगाबदेही प्रत्येक संस्था के कामकाज की गुणवत्ता बढ़ाती है। न्यायपालिका के प्रति लोगों में श्रद्धा है, लेकिन उसकी जगाबदेही का कोई मंच नहीं है। न्यायपालिका को अपने भीतर से ही किसी जगाबदेह संस्था का विकास करना चाहिए। अधिकार प्राप्त व्यक्ति की जिम्मेदारी भी होती है।



**हवाई जहाज में थाना-चौकी, पुलिस की व्यवस्था पर दिख सकते हैं टेन सरीखे नजारे**

आजकल हवाई यात्राओं में खूब बवाल हो रहा है। मारामारी, पटक-पटकी आम बात हो गई है। कोई विमान के अंदर तो कोई बाहर सूसू कर दे रहा तो कोई एयर होस्टेस को छेड़कर भाग जा रहा है। कुछ लोग इसका दोष सरकार की उस नीति को दे रहे, जिसके तहत बड़ी संख्या में हवाई चप्पल गलों को हवाई यात्रा कराई जा रही है। चूंकि सरकार भी इन घटनाओं से खासा चिंतित है तो बहुत संभव है कि हवाई जहाजों में थाना-चौकी स्थापित हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इस बारे में हाल में एक अनुभवी रेलयात्री रेलबहादुर ने अपने विचार हमसे साझा किए। उन्होंने बताया कि ट्रेनों की ही तरह विमानों में भी जहरखुरानी शुरू हो जाएगी। बगल वाला पहले अपनी मीठी-मीठी बातों में उलझाएगा, पिर जहरीला बिस्कुट-पेड़ा खिलाकर सारा माल लेकर सटक जाएगा। चूंकि अनुभवी रेल यात्री को पता था कि विमानों में शराब मुफ्त मिलती है, इसलिए उन्होंने यह भी आशंका जाताई कि विमान कंपनियां अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए हवाई जहाज में ही महुआ आदि देशज पदार्थों से देसी शराब बनाने लग सकती हैं। जोरदार नशे के कारण ज्यादातर लोग देसी दाढ़ ही पसंद करेंगे। उनका यह भी मानना है कि हवाई जहाज में संगठित जुआ भी शुरू हो सकता है। मौके पर सूदखोर भी मिल सकते हैं, जो जुआ हारने वालों को आसान ब्याज पर तुरंत पैसा उपलब्ध करा देंगे। वह बाले रेल में तो उपलब्ध करा देते हैं। गुटखे के शौकीन रेलबहादुर ने बताया कि यह भी हो सकता है कि हवाई जहाज में

पान, बीड़ी और सिगरेट बेचने वा मिलने लगों, जो चुपके से भांग, गांज ड्रग्स भी धृदल्ले से बेचें। उन्हें भी अदेशा है कि हवाई जहाज भीतर कुछ्यात दादाओं का वर्च होगा, जो सीट के असली दावें को पीट-पीटकर भगा देंगे 3 मनमानी कीमत पर उस सीट बेचेंगे। बहुत संभव है कि लोगों खुद अपनी सीट पर बैठने के फैसले भी इन दादाओं को पैसे देने पर रेल यात्री को यह पता है कि देने से कैसे चादर-तकिया गायब जाते हैं। इसलिए उन्हें लगता है कि विमानों के बल्ब, सीट का और कंबल आदि भी गायब हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि पूरी पूरी सीट ही गायब मिले 3 अंजात लोगों के खिलाफ मुक्केबाजी दर्ज कर कागजी कोरम पूरा रख दिया जाए। अनुभवी रेल यात्री

रेलबहादुर ने अपने अनुभव के आधार पर यह भी शंका व्यक्त की कि कभी-कभी पुलिस गाले सभी यात्रियों को उतारकर हवाई जहाज अपने निजी काम के लिए ले जा सकते हैं। यह पूछने पर कि यह गाली फ्लाइट क्या नहीं जा रही तो लोग बताएं कि आज एसएचओ साहब की बुआ के लड़के की शादी है तो साहब हवाई जहाज से अपने परिवार को लेकर गए हैं। तीन-चार दिन बाद लौटेंगे तो फ्लाइट जाएगी। रेल यात्री को सबसे अधिक चिंता यह सता रही है कि कहीं टेसा न हो कि सौ सीट वाले विमान में दो सौ यात्री घुसाए जाने लगें। उनको यह भी डर है कि विमान यात्रियों के सामान की घोकिं भले हवाई अड्डे पर हो रखी हो, लैकिन अंदर पुलिसवाले लाठियों से कोंच-कोंचकर उनका सामान चेक करेंगे।

वे किसी भी आइटम को प्रतिबंधित बताकर लोगों को टाइट करेंगे। पुलिस वाले अपना खुद का तराजू भी लेकर चल सकते हैं, जिससे सामान और यात्री का वजन लिया जाए। यदि किसी के सामान का वजन का ज्यादा हुआ तो अतिरिक्त पैसे वसूले जाएंगे। यही नहीं मोटेरों यात्रियों को...अभी जहाज गिराया तो...बोल के पैसे वसूले जाएंगे। अखबारों में ऐसी भी खबरें छप सकती हैं कि विमान में दो पुढ़ियां गांजा के साथ विमान यात्री गिरफतार। रेल यात्री ने यह भी आशंका जताई कि कहीं किसरानी विमानों में वसूली करने के लिए यात्रा न करने लगे और गाना-कवाली गाकर मांगने वाले न दिखाई देने लगें। पुलिस वाले काकपिट में जाकर पायलट से यह न बोलेने लगें कि आज जहाज तेरा भाई चलाएगा।

A photograph of a large commercial airplane, likely a Boeing 747, captured from a low angle looking up. The aircraft is angled upwards towards the right, showing its upper fuselage, wings, and tail. The sky is a clear, pale blue. The image has a slightly grainy texture and a warm color palette.

एक बार जल्दी से विमान यात्रा करने

पर्याप्त बजट की प्रतीक्षा में शिक्षा जगत्, विकसित राष्ट्र बनने के लिए शिक्षा में निवेश बढ़ाना आवश्यक

निवेश करे, क्योंकि हमारे देश की 50 प्रतिशत आबादी की आयु 25 वर्ष से कम है। अन्य देशों की तुलना में हम युवा हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के साथ ही युवाओं को नए कौशल प्रदान करने के लिए भी योजनाओं पर अधिक खर्च करने की जरूरत है, जिससे वे रोजगार के अवसरों के योग्य बन सकें। है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान देना प्रत्येक युवा मस्तिष्क के हित में है। हमें एक युवा देश होने पर गर्व है, लेकिन देश की आबादी लंबे समय तक युवा नहीं रहेगी। इसलिए आम बजट में शिक्षा पर खर्च को अविलंब बढ़ाया जाना चाहिए। आज भी अगर देश के 80 करोड़ लोगों को

अपने प्लेसमेंट-रोजगार के लिए संघर्ष करते हैं। ऐसे में उचित होगा कि देश एवं प्रदेश में चल रही विभिन्न मुफ्तखेड़ी की योजनाओं का पैसा शिक्षा क्षेत्र की मजबूती में लगाया जाए। आज देश में शिक्षकों के लगभग 40 प्रतिशत पद खाली हैं। इसके अलावा शिक्षकों पर बहुत सारे गैर-शिक्षण कार्यों का बोझ ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों को नवीनतम तकनीकों से अच्छी तरह वाकिफ होने की बहुत आवश्यकता है। नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर जोर दिया गया है। यह केवल शिक्षकों के कौशल विकास पर महत्वपूर्ण निरेश के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्यक्रमों के लिए उच्च शिक्षा तो आम आदमी की पहुंच से ही बाहर हो रही है। आज आइआइएम से प्रबंधन शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही 30 लाख रुपये तक फीस देनी होती है। अच्छा होगा कि उच्च शिक्षा में फेलेशिप बढ़ाई जाए। छात्रों को सस्ती दर पर एन्जीनियरिंग लोन की व्यवस्था की जाए। साथ



शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां निवेश के कई सकारात्मक प्रभाव होते हैं। जब कार्यवल अधिक कुशल बनेगा, तब आर्थिक विकास की गति को बढ़ायेगा, सामाजिक बृहाइयां कम होंगी और महिलाएं भी सुरक्षित होंगी। परिणामस्वरूप देश का तेजी से विकास होगा। प्रारंभिक शिक्षा बच्चे के जीवन में महत्वपूर्ण होती निःश्वास अनाज दिया जा रहा तो निश्चित ही यह जनसंख्या के अक्षय है। जब इनके पास राजनीतिक विकास के लिए ही नहीं है तो ये नए कौशलों से सीखेंगे। यह समय स्विस्टिकल और अपस्टिकल का एक अध्ययन के अनुसार भारत का कार्यकुशलता के अभाव के चलते 67 प्रतिशत से अधिक नए स्नातकों

होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार शिक्षकों का लगभग 65 प्रतिशत समय गैर-शिक्षण कार्यों में व्यतीत होता है। लिहाजा सरकार को अपने बजटीय आवंटन में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की ओर भी एसोचैम के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में शिक्षा की लागत तेज़ी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत या शून्य किया जाना चाहिए। सरकार को छात्रों को रियायती दरों पर लैपटाप और स्मार्टफोन दिलाने चाहिए। कुछ शिक्षा के अधिकार को बनाए रखने, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल को बढ़ावा देने, उचित छात्रवृत्ति प्रदान करने और देश को वैश्विक ज्ञान मंच में बढ़ावा देने की महती आवश्यकता है। ऐसे में इस वर्ष का आम बजट आने वाले समय की प्राथमिकताओं को रेखांकित करेगा।

**जोशीमठ की त्रासदी के सबक, चुकानी पड़ते हैं जोशीमठ के भय में उत्तराखण्ड के जोशीमठ में अत्यन्त शाता है जो भक्तों की तश्वर से अवगत हैं कि जोशीमठ जोन 5 में आता है जो भक्तों की**

तथ्य यह है कि जपानी हाकु जाशमठ की बसाहट ऐसे ही पर है, जो एक ग्लेशियर के पिघलने से निकले मल्हे के रूप में है। यह भार्गभीय दृष्टि से एक नाजुक जगह ही। ऐसी जगह पर किए जाने वाले निर्माण कार्यों के प्रति सावधानी बरती जानी चाहिए थी। एक समय ऐसा होता जान ५ में आता है, जो न्यूफ़ॅल डिपिट से सबसे अधिक संवरद्धन है। इसमें उत्तराखण्ड का नाम हिस्सा है। इसे ध्यान में रखते वहां निर्माण कार्यों को ले अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए थी। दुर्भाग्य से ऐसा किया गया। इसका दुष्परिष

रही प्राकृतिक संपदा से छेड़छाड़ की कीमत  
उन्होंने विकल्पों की दिलचस्पी की है।

वहां से कल्पना वाली नादिया से भी छेड़छाड़ की गई। आज इसी छेड़छाड़ की कीरति चुकाना पड़ रही है। अब यह सामने आ रहा है कि जोशीमठ में जमीन दरकरे का सिलसिला कई दशकों से चला आ रहा है। प्रश्न यह है कि क्या वहां और आसपास आधारभूत ढाँचे का अन्य मवना के निमान में सावल इंजीनियरिंग के मानकों की धृतियां उड़ाई गई हैं। उत्तराखण्ड जैसी ही कहानी हिमाचल की भी है और यह किसी से छिपा नहीं कि वहां भी जमीन दरकरे के साथ भूस्खलन की घटनाएं सामने आती रहती हैं। बात केवल पर्वतीय क्षेत्रों में जमीनी क बाद मा उपयुक्त निमान काया के लिए न तो जनता को प्रेरित कर पाए और न ही इंजीनियरों और ठेकेदारों को भारत एक विकासशील देश है और आबादी के मामले में वह विश्व का सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है। यहां अभी भी अधिकतर लोग गरीब



था। ऐसी जगहों पर लकड़ी के घर होते थे और आबादी भी कम होती थी, लेकिन धीरे-धीरे कक्षीय के घर बनने लगे। जैसे-जैसे इन क्षेत्रों की आबादी और तीर्थाटन के साथ पर्यटन बढ़ा, वैसे-वैसे घरों के साथ होटलों का निर्माण भी तेज हुआ। ऐसा उत्तराखण्ड के साथ हिमाचल में भी हुआ। अधिकांश निर्माण न तो वैज्ञानिक ढंग से हुआ और न ही यह ध्यान में रखते हुए कि यह क्षेत्र भूकंप की वृद्धि से संबंधित था। देस का एक बड़ा विस्तार संभाल

निर्माण कराने वाले ठेकेदारों को इंजीनियरिंग की दृष्टि से आवश्यक मानकों का सही तरह पालन करने को कहा गया? सच यह है कि ऐसा नहीं किया गया और बढ़ते तीर्थाटन का लाभ लेने के लिए उत्तराखण्ड के लोग भी घरों और होटलों का निर्माण कराते रहे। इस निर्माण में सिविल इंजीनियरिंग के तमाम मानकों की अवहेलना हुई। इसके बुरे नतीजे सामने आने ही थे। उत्तराखण्ड कोई अकेला सभ-उप शर्मी है, जहां पापाएँ और स्थिति की अनदेखी करके किए जाएँ वाले निर्माण की नहीं हैं। ऐसी ही अनदेखी मैदानी इलाकों में भी होते हैं। इनमें वे इलाके भी हैं, जो भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले सेस्मिक जॉन-4 में आते हैं। इनमें देश की राजधानी दिल्ली और आसपास का एक बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में भी निर्माण की गुणवत्ता सही नहीं और बड़े भूकंप आने पर यहां तबाही मच सकती है। आखिर क्या कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारें जानक शैरोनिक्स विश्वित

हर तरह के निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिए किसी समिति का गठन करने के साथ यह सुनिश्चित करें कि उसकी ओर से तय किए गए मानकों पर वास्तव में अमल भी हो। यह अमल तब होगा, जब इंजीनियरों के साथ ठेकेदारों को जवाबदेह बनाया जाएगा और उनकी ओर से कराए जाने वाले निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की प्रभावी ढंग से सिपाही भी दी जाएगी।



